

प्रश्न सं. [क. 2840] को 30/03/2023

### परिशिष्ट-1

1. ग्राम दामोदर बाग में ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.03.1981 को आनन्द नगर आवासीय योजना का नोटिफिकेशन किया गया, यह योजना नोटिफिकेशन के अनुसार 89.134 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्राम किशनबाग एवं शंकरपुर की भूमियों को शामिल कर विकसित की गई। उक्त योजनावर्गित भोजा दामोदर बाग की शासकीय भूमि का कोई आवंटन ग्वालियर विकास प्राधिकरण को नहीं किया गया।

2. कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 01/80-81/अ-82 आदेश दिनांक 10.09.1986 से ग्वालियर विकास प्राधिकरण की आनन्द नगर आवासीय योजना एवं फल तथा सब्जी मार्केट निर्माण हेतु ग्राम दामोदर बाग की भूमि 25.889 हेक्टेयर का भू-अर्जन अवाई पारित किया गया। उक्त आदेश के पृष्ठ क्रमांक 03 के पैरा-2 में तहसीलदार को पत्र क्रमांक भू-सम्पदा 01/80-81/अ-82 दिनांक 11.10.1982 द्वारा लिखा गया तथा तहसीलदार ग्वालियर द्वारा उनके पत्र क्रमांक क्यू/रीडर-2/वि./82 दिनांक 06.09.1983 द्वारा अर्जित भूमि का कब्जा रसीद अनुसार दिनांक 29.08.1983 को ग्वालियर विकास प्राधिकरण के असिस्टेंट इंजीनियर को सौंपा गया का उल्लेख है।

भू-अर्जन की कार्यवाही को कृषकों द्वारा न्यायालय (राजस्व मण्डल) में चुनौती दी गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल में पारित आदेश दिनांक 26.03.1997 द्वारा भूमि स्वामी माना गया, जिसकी शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 380/98 की गई। अपील के लंबित रहने से विकास कार्य प्रभावित होने से भूमि को आपसी करार के माध्यम से प्राप्त करने का आदेश म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 2830/298/32 नोपाल दिनांक 06.09.1998 के द्वारा आपसी समझौते से भूमि अर्जित करने हेतु प्राधिकरण को आदेशित किया गया तथा कलेक्टर ग्वालियर भू-अर्जन से उक्त भूमि विषयक जमा राशि की मांग किया जाना आदेशित किया गया। जिसे प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक/ग्वा.वि.प्रा./भू-अर्जन/2016/801 दिनांक 06.02.2016 के द्वारा जमा राशि मय ब्याज के 34,25,751.10 रुपये वापिस करने की मांग की गई। इसी क्रम में उक्त भूमि को आपसी करार से प्राप्त करने हेतु अशोक गृह निर्माण सहकारी समिति व ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी समिति एवं कृषकगण तथा ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध द्वारा भूमि प्राप्त कर आनन्द नगर आवासीय योजना विकसित की गई। इस प्रकार दामोदर बाग में शासकीय भूमि का विक्रय नियम विरुद्ध नहीं हुआ।

ग्वालियर विकास प्राधिकरण को कलेक्टर जिला ग्वालियर के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/81-82 अवाई पारित दिनांक 10.09.1986 से प्राप्त ग्राम दामोदर बाग की भूमि 25.886 हेक्टेयर एवं भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/84-85 में पारित अवाई दिनांक 10.03.1988 से प्राप्त ग्राम शंकरपुर की भूमि 25.368 हेक्टेयर भूमि के बदले ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी समिति एवं अशोक गृह निर्माण सहकारी समिति (आवासीय विकास गृह निर्माण सहकारी समिति) के द्वारा गैर भूमि स्वामियों से अनुबंध कर तत्पश्चात् ग्वालियर विकास प्राधिकरण से अनुबंध कर आनन्द नगर योजना में विकसित भूमि प्राप्त करने की अवैधानिक कार्यवाही किये जाने बाबत प्रस्ताव ग्वालियर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 28.01.2023 में रखा गया। बोर्ड में रखा गया अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक-8 निम्नानुसार था :-

“ग्राम दामोदर बाग के सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 कुल कित्ता 10 कुल रकवा 25.886 हेक्टेयर एवं शंकरपुर के सर्वे क्रमांक 1025, 1027, 1028, 1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1042, 1043, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1064 कुल कित्ता 16 कुल रकवा 25.368 हेक्टेयर भूमि विद्यमान थी। ग्राम दामोदर बाग की उपरोक्त वर्णित भूमि का कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/81-82 में अवाई पारित दिनांक 10.09.1986 द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भू-अर्जन किया गया था। ग्राम शंकरपुर की उपरोक्त वर्णित भूमि का कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/84-85 में अवाई पारित दिनांक 10.03.1988 के द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि अर्जन किया गया था। उपरोक्त दोनों अवाई तत्कालीन आयुक्त महोदय

ग्वालियर शंभाग ग्वालियर द्वारा अनुमोदित किए गए थे। उपरोक्त नस्ती को रिकार्ड के आधार पर उपरोक्त अवाडों की वैधता को आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। वादग्रस्त भूमियों के अवाडों की राशि एवं भूमि स्वामियों को प्रदाय के संबंध में अष्टम न्यायालय जिला ग्वालियर के प्रकरण वाद क्रमांक 22/89 (भू-अर्जन) निर्णय दिनांक 29.04.2006 पारित किया गया है। जिसमें केवल पी.पी. शर्मा को अवाड की राशि प्राप्त करने की पात्रता मानी गयी। अन्य किसी को नहीं माना गया। माननीय उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 876/98 पारित आदेश दिनांक 18.04.1998, उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 380/1998 पारित आदेश दिनांक 02.01.2006 की याचिकाओं का संबंध शिर्ष पी.पी. शर्मा को अवाड की राशि प्रदाय करने के संबंध में पारित किया गया है। श्री पी.पी. शर्मा द्वारा राशि प्राप्त करने के संबंध में अष्टम न्यायालय द्वारा अपने आदेश में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित दोनों अवाड एवं माननीय न्यायालय के आदेश की वैधता आज दिनांक तक चुनौती न दिए जाने से अंतिम है। वर्तमान खसरे में वादग्रस्त भूमि ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है इस प्रकार प्राधिकरण इसका एक मात्र स्वामी है।

ग्वालियर गृह निर्माण और अशोक गृह निर्माण (आवासीय विकास गृह निर्माण सहकारी समिति) को अवैध रूप से आवंटन संबंधी प्रतिवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ का पत्र दिनांक 28.03.1998 है। ग्वालियर गृह निर्माण संस्था द्वारा श्री करतार सिंह से 19.03.1998 को अनुबंध किया गया। उपरोक्त अनुबंध नोटरी पर है रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं है। अष्टम न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 22/89 (भू-अर्जन) में इसको भूमि स्वामी स्वीकार नहीं किया है। अतः इसके द्वारा किया गया अधिकारिता विहीन अनुबंध प्रारम्भ शून्य है साथ ही इस अनुबंध के आधार पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण की ओर से तत्कालीन अधिकारियों द्वारा किया विकसित भूखण्डों का आवंटन भी अविधिपूर्ण होकर शून्य एवं प्रभावहीन है, यह जानते हुए भी सम्पूर्ण भूमि का स्वामी ग्वालियर विकास प्राधिकरण है। सहकारी संस्था में विकसित भूखण्ड आवंटन सर्वथा अविधिपूर्ण है। तथापि उपरोक्त संस्थाओं को निम्नलिखित आवंटन पत्र जारी हुए :-

क्रमांक.	आवंटन पत्र क्रमांक व दिनांक.	आवंटित भूखण्ड संख्या.	आवंटित क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1.	ग्व.वि.प्रा./सह./98/1370 दिनांक 03.04.1998	113	10368 वर्गमीटर
2.	ग्व.वि.प्रा./सह./98/1608 दिनांक 28.04.1998	92	12906 वर्गमीटर
3.	ग्व.वि.प्रा./सह./98/2877 दिनांक 24.08.2000	49	6747 वर्गमीटर
4.	ग्व.वि.प्रा./सह./98/3914 दिनांक 26.11.2002	67	8254 वर्गमीटर
5.	ग्व.वि.प्रा./सह./2004/959 दिनांक 30.05.2005	50	8680.775 वर्गमीटर
6.	ग्व.वि.प्रा./सह./2006/2954 दिनांक 19.10.2006	176	29365 वर्गमीटर
7.	ग्व.वि.प्रा./भू-अर्जन/2020/12218 दिनांक 03.12.2020	33	7444.80 वर्गमीटर
8.	ग्व.वि.प्रा./भू-अर्जन/5614 दिनांक 09.12.2021	83	10063.80 वर्गमीटर

उपरोक्त वैधताओं की जाँच करने के लिए गठित समिति द्वारा तत्कालीन अधिकारियों एवं सोसाइटियों के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गई थी। जिसे नस्ती से हटा दिया गया है। इसी प्रकार जिला पंजीयक को भी उपरोक्त भूमियों के कय-विकय को रोकने की भी कार्यवाही पत्र दिनांक 23.01.2016 में प्रेषित किया गया है। उपरोक्त प्रक्रिया को नजर अंदाज कर 2016 के उपरांत उपरोक्त सोसाइटियों लगातार विकसित भूखण्डों की माँग की जाने पर तत्कालीन अधिकारियों द्वारा भूखण्ड प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त दोनों संस्थाओं द्वारा साठ-गाठ कर अवैध तरीके से आनन्द नगर योजना के बजाय शताब्दीपुरम योजना में प्राप्त किए हैं जो सर्वथा नियम विरुद्ध है। अतः उपरोक्त संस्थाओं द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलकर

३६


बिना स्वामित्व/अधिकारिता के छलपूर्वक विकास प्राधिकरण से विकसित भूखण्ड प्राप्त कर प्राधिकरण को क्षतिकारित करने युक्तियुक्त रूप से प्रतीत होता है”।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें निर्णय क्रमांक 1204 के अनुसार निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

- 1- प्राधिकरण की ओर से सभी गृह निर्माण समितियों को विकसित भूखण्ड आवंटन किये जाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है।
- 2- प्रस्ताव में वर्णित अनियमितताओं की सघन जाँच एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के लिए जिम्मेदारी निर्धारण हेतु जाँच समिति गठित की जाती है। उपरोक्त समिति में संयुक्त संचालक न.ग्रा.नि, एस.डी.एम. ग्वालियर, प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, कार्यालय कलेक्टर ग्वालियर, जिला पंजीयक ग्वालियर, सम्पदा अधिकारी श्री उमेशचन्द्र कौरव ग्वालियर विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे। जाँच समिति जाँच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करेगी।
- 3- ग्वालियर गृह निर्माण सहकारी समिति एवं अशोक गृह निर्माण सहकारी समिति (आवासीय विकास गृह निर्माण सहकारी समिति) द्वारा प्रस्ताव में वर्णित प्राधिकरण की भूमियों के कथित समर्पण से प्राप्त विकसित भूखण्डों के क्रय-विक्रय एवं नामान्तरण प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इस बाबत जिला पंजीयक को तत्काल पत्र प्रेषित किया जाए। इसी प्रकार भूखण्डों की वर्तमान स्थिति के संबंध में स्थल पर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण कर भौतिक स्थिति की रिपोर्ट जीडीए द्वारा दल गठित कर तैयार की जाए।
- 4- जावक रजिस्टर एवं साईट प्लान रजिस्टर तत्काल सीज किये जावें। नये रजिस्टर संधारित किये जावें।
- 5- ग्वालियर विकास प्राधिकरण एवं सोसायटी के मध्य हुए अनुबंध निरस्त किये जावें।

**बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में की गयी कार्यवाही :-**

- 1- प्राधिकरण की ओर से सभी गृह निर्माण समितियों को विकसित भूखण्ड आवंटन किये जाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
- 2- प्राधिकरण के आदेश दिनांक 1659 दिनांक 03.02.2023 द्वारा प्रस्ताव में वर्णित अनियमितताओं की सघन जाँच एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के लिये जिम्मेदारी निर्धारण हेतु जाँच समिति गठित कर दी गई है।
- 3- प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1547 दिनांक 09.02.2023 द्वारा भूखण्डों के क्रय-विक्रय पर रोक के संबंध में जिला पंजीयक ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर दिया गया है तथा नामान्तरण की कार्यवाही रोक दी गई है।
- 4- जावक रजिस्टर दिनांक 23.12.2022 तथा प्लानिंग शाखा रजिस्टर दिनांक 23.12.2022 को सीज किये जाकर नये रजिस्टर संधारित करा दिये गये हैं।
- 5- उपरोक्त सोसाइटियों के अनुबंध निरस्ती के संबंध में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
ग्वालियर विकास प्राधिकरण  
ग्वालियर.